[2020] 13 एस. सी. आर 1175

यू. एम. सी. प्रौद्योगिकी निजी सीमित

ए.

वी.

भारत और ए. एन. आर. का खाद्य निगम (2020 की सिविल अपील संख्या 3687)

बी.

नवंबर 16,2020

[एस. अब्दुल नजीर और बी. आर. गवई, जे. जे.] निगम द्वारा अनुबंध समाप्ति-ब्लैकलिस्टिंग निगम ने एक बोली दस्तावेज जारी किया था जिसमें प्रक्रिया के संचालन के लिए एक भर्ती एजेंसी की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं या

चौकीदारों को नियुक्त करने के लिए भर्ती-अपीलार्थी को सी सफल बोलीदाता घोषित किया गया था-अपीलार्थी ने निगम के साथ चौकीदारों के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की।

उसी दिन पुलिस के एक विशेष कार्य बल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास कुछ हस्तलिखित दस्तावेज थे। प्रथम दृष्टया संबंधित प्रश्न पत्र प्रतीत होते हैं

डी.

अपीलार्थी द्वारा की गई जाँच-निगम ने अपीलार्थी को दिनांक 10.04.2018 का कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया और आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने बोली दस्तावेज़ के विभिन्न खंडों का उल्लंघन किया है-अपने दिनांक 09.01.2019 के आदेश द्वारा, निगम ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी की ओर से कमियां/लापरवाही किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित हो गई और अपीलार्थी के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा और अपीलार्थी को काली सूची में डाल दिया।

5 वर्ष की अवधि के लिए निगम की किसी भी भावी निविदा में भाग लेने से-उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर लिखित याचिका खारिज कर दी गई थी-उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि वह केवल काली सूची के मुद्दे को चुनौती देना चाहता है और

एफ.

अपीलार्थी और निगम के बीच अनुबंध की समाप्ति नहीं-आयोजितः ए प्रदान करने वाला एक पूर्व कारण दिखाएँ नोटिस

सुनवाई का उचित अवसर सभी प्रशासनिक निर्णय लेने का एक अनिवार्य तत्व है-और विशेष रूप से काली सूची में डालने से संबंधित निर्णयों में जो इकाई को काली सूची में डालने के लिए

गंभीर परिणाम देते हैं-इन मामलों में, एक वैध शो जी कारण नोटिस प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है और ऐसा करने में विफलता उसके अनुसार काली सूची में डालने के किसी भी आदेश के लिए घातक होगी-एक कारण दिखाएं नोटिस अनिवार्य है।

स्पष्ट रूप से लिखें, या इसकी सामग्री ऐसी हो कि इससे स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सके कि नोटिस जारी करने वाले की ओर से नोटिस देने वाले को काली सूची में डालने का इरादा है।

एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि काली सूची में डालने की कार्रवाई न तो स्पष्ट रूप से प्रस्तावित की गई थी और न ही निगम द्वारा अपने कारण बताए जाने के नोटिस में इस्तेमाल की गई भाषा से इसका अनुमान लगाया जा सकता था -

निगम की ओर से यह स्पष्ट करने की बाध्यता है कि वह अपीलार्थी को काली सूची में डालने का इरादा रखता है, ताकि अपीलार्थी को कारण दिखाने के लिए पर्याप्त और सार्थक अवसर प्रदान किया जा सके।

बी.

इसलिए, दिनांकित 10.04.2018 का कारण बताएँ नोटिस काली सूची में डालने के लिए एक वैध कारण बताएँ नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है-निगम का दिनांकित 09.01.2019 का आदेश केवल तब तक रद्द किया जाता है जब तक कि यह अपीलार्थी को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से काली सूची में डाल देता है।

सी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. राज्य या राज्य निगम द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को काली सूची में डालने के संदर्भ में, डी को काली सूची में डालने के गंभीर परिणामों और व्यक्ति/संस्था को काली सूची में डालने से उपजे कलंक के कारण एक वैध, विशिष्ट और स्पष्ट कारण बताए जाने के नोटिस की आवश्यकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ, काली सूची की अवधारणा और इसके कारण होने वाले परिणामों की गंभीरता का वर्णन करना फायदेमंद हो सकता है। ब्लैकलिस्टिंग का प्रभाव किसी व्यक्ति या संस्था को सरकारी अनुबंधों में प्रवेश करने के विशेषाधिकार प्राप्त अवसर से वंचित करने का होता है। ई यह विशेषाधिकार इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि यह राज्य है जो

सरकारी अनुबंधों में प्रतिपक्ष और इस तरह, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को मनमानेपन और भेदभाव के बिना ऐसे अनुबंधों में भाग लेने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। ब्लैकलिस्टिंग न केवल इस विशेषाधिकार को छीनती है, बल्कि यह ब्लैकलिस्ट किए गए व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करती है और व्यक्ति के चरित्र एफ पर सवाल उठाती है। ब्लैकलिस्टिंग में लंबे समय तक चलने वाला नागरिक अधिकार भी है

ब्लैकलिस्ट किए गए व्यक्ति की भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं के लिए परिणाम। [पैरा 14] [1183-ई-एच; 1184-ए]

2. उच्चतम न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि सुनवाई का उचित जी अवसर प्रदान करने वाला पूर्व कारणदर्शक नोटिस सभी प्रशासनिक निर्णय लेने का एक अनिवार्य तत्व है और विशेष रूप से काली सूची से संबंधित निर्णयों में जो संस्था को काली सूची में डालने के लिए

गंभीर परिणाम देते हैं। इन मामलों में, एक वैध कारण बताएँ नोटिस देना महत्वपूर्ण है और ऐसा करने में विफलता उसके अनुसार काली सूची में डालने के किसी भी आदेश के लिए घातक होगी। [पैरा 19] [1186-बी

एच.

3. कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि ए को कारण दर्शाओ नोटिस के लिए ब्लैकलिस्टिंग आदेश का वैध आधार होना चाहिए, इस तरह के नोटिस को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, या इसकी सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि इससे स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सके कि नोटिस जारी करने वाले की ओर से नोटिस जारी करने वाले को ब्लैकलिस्ट करने का इरादा है। ऐसी स्पष्ट सूचना है यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाए

बी.

ब्लैकलिस्टिंग का उद्देश्य थोपा जाना है, उसके पास अपनी संभावित ब्लैकलिस्टिंग के खिलाफ कारण दिखाने का पर्याप्त, सूचित और सार्थक अवसर है। [पैरा 21] [1187-ई-एफ]

4. नोटिस को सीधे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि काली सूची में डालने की कार्रवाई न तो स्पष्ट रूप से प्रस्तावित की गई थी और न ही हो सकती थी

सी.

निगम द्वारा नियोजित भाषा से अनुमान लगाया गया है इसका कारण दिखाएँ नोटिस। "बोलीदाताओं को निर्देश" के 12 खंडों को सूचीबद्ध करने के बाद, जो निगम के दिनांकित बोली दस्तावेज़ का हिस्सा थे, नोटिस में केवल एक अस्पष्ट बयान है कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्न पत्रों के कथित रिसाव के आलोक में, डी निगम द्वारा एक उचित निर्णय लिया जाएगा। [पैरा 24] [1188-जी-एच]

5. बोली दस्तावेज़ में केवल एक खंड का अस्तित्व, जिसमें पात्रता के खिलाफ एक बाधा के रूप में काली सूची का उल्लेख किया गया है, कारण बताएँ नोटिस में प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्ट उल्लेख की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। निगम का ई-नोटिस काली सूची में डालने के बारे में पूरी तरह से चुप है और इस तरह, यह अपीलार्थी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता था कि इस नोटिस के अनुसरण में निगम द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा सकती थी। यदि निगम ने काली सूची के कारण बताएँ नोटिस में अपना मन व्यक्त किया होता, तो अपीलार्थी इसके लिए एक उपयुक्त जवाब दाखिल कर सकता था। इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि 10.04.2018 दिनांकित कारण बताएँ नोटिस एक वैध प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

ब्लैकलिस्टिंग के लिए कारण सूचना। इस न्यायालय को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को काली सूची में डालने का आदेश स्पष्ट रूप से कारण दर्शाओ नोटिस की सीमा से परे चला गया जो कानून में अस्वीकार्य है। नतीजतन, 09.01.2019 दिनांकित परिणामी ब्लैकलिस्टिंग आदेश को G बनाए नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 25] [1189-डी-एफ]

एरसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड v. पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 1 एससीसी 70 [1975] 2 एससीआर 674; रघुनाथ ठाकुर बनाम। बिहार राज्य (1989) 1 एससीसी 229: [1988] 3 पूरक। एससीआर 867; गोरखा सुरक्षा सेवा एच 1178

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए.

वी. सरकार (एन. सी. टी. दिल्ली) और अन्य। (2014) 9 एससीसी 105 [2014] 13 एस. सी. आर. 617-पर निर्भर। नासिर अहमद बनाम। सहायक संरक्षक जनरल, निकासी संपत्ति, लखनऊ और ए. एन. आर. (1980) 3 एससीसी 1: [1980] 3 एस. सी. आर. 248 निर्दिष्ट है।

बी.

मामला कानून संदर्भ

[1980] 3 एससीआर 248

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[1975] 2 एससीआर 674

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 867 पैरा 17 पर निर्भर था।

सी.

[2014] 13 एससीआर 617

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2020 की सिविल अपील संख्या 3687।

2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 2778 में जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय डी के दिनांक 13.02.2019 के निर्णय और आदेश से।

गौरव बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , साहिल टागोत्रा, सुभ्रो मुखर्जी, मोहित पांडे, सुश्री इशिता मिश्रा, अजीत पुद्दुसरी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. छुट्टी दे दी गई। 2. यह अपील जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लिखित याचिका सं. 1 में पारित दिनांकित आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

2019 का एफ 2778। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है और प्रतिवादी नं. 1 द्वारा पारित दिनांकित आदेश की वैधता को बरकरार रखा है। 1 , अर्थात् भारतीय खाद्य निगम (संक्षेप में 'निगम') अपने उप महाप्रबंधक (कार्मिक) के माध्यम से, जो प्रतिवादी नं। 2 इसमें, अपीलार्थी के साथ सेवा अनुबंध को समाप्त करने और अपीलार्थी को किसी भी भविष्य में भाग लेने से काली सूची में डालने के लिए जी.

5 वर्ष की अवधि के लिए निगम की निविदाएँ। 3. निगम ने निगम के कार्यालय के लिए चौकीदारों को नियुक्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करने के लिए एक भर्ती एजेंसी की नियुक्ति के लिए 25.11.2016 पर एक बोली दस्तावेज जारी किया था। अपीलार्थी ने 21.12.2016 पर अपनी बोली प्रस्तुत की और अंततः घोषित कर दिया गया

एच. यू. एम. सी. प्रौद्योगिकी निजी सीमित v. भारत और ए. एन. आर. का खाद्य निगम 1179। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

निगम के दिनांकित 28.03.2017 पत्र के माध्यम से सफल बोलीदाता के रूप में। औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद, अपीलार्थी को निगम के लिए चौकीदारों की भर्ती के लिए निविदा कार्य करने के लिए डब्ल्यू. ई. एफ. 14.02.2017 से 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

4. अपने काम के हिस्से के रूप में, 01.04.2018 पर, अपीलार्थी ने मध्य प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बी निगम के साथ चौकीदार के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की। उसी दिन, भोपाल पुलिस के एक विशेष कार्य बल ने ग्वालियर में 50 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास कुछ हस्तलिखित दस्तावेज थे जो प्रथम दृष्टया अपीलार्थी द्वारा आयोजित परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र प्रतीत होते हैं। पुलिस ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ 03.08.2018 पर आरोप पत्र दायर किया। उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर, निगम ने अपीलार्थी को दिनांक 10.04.2018 पर एक कारण दर्शाअ नोटिस जारी किया, जिसमें अपीलार्थी को उक्त गिरफ्तारी और दस्तावेजों की जब्ती के बारे में सूचित किया गया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा आयोजित परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र प्रतीत होते हैं। इस नोटिस में आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने डी आधार पर दिनांकित बोली दस्तावेज़ के विभिन्न खंडों का उल्लंघन किया था कि प्रश्न पत्र तैयार करना और वितरित करना अपीलार्थी की एकमात्र जिम्मेदारी थी और साथ ही परीक्षा को अत्यधिक गोपनीय तरीके से आयोजित करना था। बोली दस्तावेज़ के कई खंड दिनांकित 10.04.2018 के उक्त नोटिस में सूचीबद्ध किए गए थे और निगम ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में अपनी घोर विफलता और स्पष्ट लापरवाही के कारण इसका उल्लंघन किया था। उक्त नोटिस ने अपीलार्थी को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर निगम द्वारा एक उचित एकतरफा निर्णय लिया जाएगा।

5. अपीलार्थी ने अपने दिनांकित 12.04.2018 पत्र के माध्यम से उपरोक्त नोटिस का जवाब दिया, जिसमें उसके F छोर से किसी भी लापरवाही या प्रश्न पत्र के लीक होने से इनकार किया गया था। अपने संचार में, अपीलार्थी ने अपनी स्थिति के समर्थन में कई तथ्यात्मक औचित्य प्रस्तुत किए और निगम से पुलिस द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों को फोरेंसिक विश्लेषण के लिए अपीलार्थी को उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। ये दस्तावेज़ अपीलार्थी को निगम के दिनांकित 18.10.2018 पत्र के माध्यम से प्रदान किए गए थे। निगम ने जी को 22.10.2018 दिनांकित एक अन्य पत्र संबोधित किया जिसमें अपीलार्थी को अपना अंतिम उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके बाद, 27.10.2018 पर, अपीलार्थी ने एक अवलोकन रिपोर्ट-सह-उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जिसमें मूल प्रश्न पत्रों के साथ दस्तावेजों को जब्त कर लिया और तर्क दिया कि दोनों के बीच कई विसंगतियां थीं और इस प्रकार मूल प्रश्न पत्रों का कोई रिसाव या प्रसार नहीं हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

6. अपने उपरोक्त आदेश दिनांक 09.01.2019 के अनुसार, निगम

ए.

यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी की ओर से कमियां/लापरवाही किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित हुई और अपीलार्थी के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े और अपीलार्थी को 5 साल की अवधि के लिए निगम की किसी भी भावी निविदा में भाग लेने से भी काली सूची में डाल दिया। इसके अलावा, निगम के पास अपीलार्थी की प्रतिभूति जमा थी

बी.

ज़ब्त कर लिया गया और अपीलार्थी को अनुबंध के अप्रचलित हिस्से को अपनी लागत और जोखिम पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

7. निगम के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने कानूनी नोटिस जारी करने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 की रिट याचिका संख्या 2778 दायर की। इस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया

सी.

उपरोक्त आदेश दिनांक 13.02.2019 जो हमारे समक्ष चुनौती के अधीन है।

8. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी केवल काली सूची के मुद्दे को लड़ना चाहता है, न कि अपीलार्थी और निगम के बीच अनुबंध की समाप्ति को। इस प्रकार, एकमात्र मुद्दा

डी.

जो हमारे सामने निर्धारण के लिए आता है वह यह है कि क्या निगम अपीलार्थी को अपनी भावी निविदाओं में भाग लेने से 5 साल के लिए काली सूची में डालने का हकदार था और उचित था।

9. पक्षों की दलीलों पर गौर करने से पहले निगम की बोली के कुछ प्रावधानों को निकालना उपयोगी होगा।

ई दस्तावेज़ दिनांक 25.11.2016 जो दिनांकित 09.01.2019 के काली सूची आदेश की वैधता निर्धारित करने के लिए सामग्री होगीः

" बोली लगाने वालों के लिए निर्देश

XXX

XXX

XXX

10. विसंगति की शर्तेंः बोली लगाने वाला जिसके पास है

एफ.

एफ. सी. आई. या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा काली सूची में डाल दिया गया या अन्यथा प्रतिबंधित कर दिया गया। या कोई भी केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निगम, ऐसी काली सूची की अवधि के दौरान अपात्र होंगे।

10.1 कोई भी बोलीदाता जिसका एफ. सी. आई. या केंद्र/राज्य सरकार के साथ अनुबंध हो। या किसी केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निगम ने

जी.

पिछले पाँच वर्षों के दौरान किसी भी समय किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिए अनुबंध अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त किया गया, अपात्र होगा। 10.2 बोलीदाता जिसकी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और/या प्रतिभूति जमा को एफ. सी. आई. या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया है।

एच. यू. एम. सी. प्रौद्योगिकी निजी सीमित v. भारत और ए. एन. आर. का खाद्य निगम 1181। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

या कोई भी केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रम/सांविधिक निगम, पिछले पांच वर्षों के दौरान, किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिए अयोग्य होगा।

XXX

XXX

XXX

25. भ्रष्टाचार की प्रक्रियाएँः

बी.

25.4 एजेंसी या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा भर्ती के किसी भी चरण में, जिसमें प्रश्न पत्र की तैयारी, प्रश्न पत्र का वितरण, परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परिणामों की घोषणा आदि शामिल हैं, की गई किसी भी भ्रष्ट गतिविधि से संपर्क तुरंत रद्द हो जाएगा और एजेंसी अनुबंध के किसी भी अन्य खंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उचित कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगी।

XXX

XXX

XXX

डी.

42. अनुबंध की समाप्तिः 42.1 निगम द्वारा

(ii) एफ. सी. आई. को अन्य अधिकारों ई और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बोलीदाता द्वारा अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, या अनुबंध को नियंत्रित करने वाले किसी भी प्रावधान, दायित्वों का पालन करने में विफल रहने पर, अनुबंध को तुरंत समाप्त करने और एजेंसी के जोखिम और लागत पर अनुबंध की अनिर्णित अवधि के लिए काम करने और सभी नुकसान, नुकसान, लागत और खर्चों की वसूली के लिए प्रतिभूति जमा या उसके किसी भी हिस्से को जब्त करने का अधिकार होगा जो एफ. सी. आई. द्वारा इस तरह की समाप्ति और/या असाइनमेंट को पूरा करने के परिणामस्वरूप किया जा सकता है। एफ. सी. आई. एजेंसी को देय अन्य राशियों से भी वसूली कर सकता है या जो इसके बाद किसी भी समय जी के तहत यह या एफ. सी. आई. के साथ किसी अन्य अनुबंध के तहत देय हो सकती है। यदि राशि पूरी वसूली योग्य राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो एजेंसी मांग पर एफ. सी. आई. को पूरी शेष बकाया राशि का भुगतान करेगी। (iii) एफ. सी. आई. बिना कोई कारण बताए किसी भी समय ऐसा कर सकता है।

बोलीदाता को 7 कार्य दिवसों का नोटिस देकर बिना किसी दायित्व के अनुबंध को समाप्त करें। "[2020] 13 एस. सी. आर.

10. अपीलार्थी की ओर से यह श्री बनर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था

ए.

कि निगम के पास अपीलार्थी को काली सूची में डालने के लिए उपरोक्त उद्धृत या दिनांकित बोली दस्तावेज़ के किसी अन्य प्रावधान के तहत कोई शक्ति नहीं थी। यह तर्क दिया गया था कि उपरोक्त उद्धृत खंड 10 का शीर्षक "अयोग्यता" है।

निगम द्वारा जिन शर्तों पर भरोसा किया गया है, वे केवल पात्रता मानदंड निर्धारित करती हैं और भविष्य में काली सूची में डालने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती हैं।

बी.

यह भी आरोप लगाया गया कि निगम द्वारा जारी दिनांक 10.04.2018 के कारण बताएँ नोटिस में भी उक्त खंड का उल्लेख नहीं किया गया था। उक्त कारण दर्शाओ नोटिस को भी अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत करके बाधित किया गया था कि यह प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा क्योंकि इसमें न तो कार्रवाई की आवश्यकता वाले आधारों का उल्लेख किया गया था और न ही निर्दिष्ट किया गया था कि क्या सी कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था। इस प्रकार, श्री बनर्जी ने कहा कि वैध कारण दर्शाओ नोटिस के अभाव में, परिणामी काली सूची के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने आगे अपीलार्थी पर निगम के विवादित आदेश के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला, जितना कि अन्य राज्यों में निगम की शाखाओं के साथ-साथ अन्य सरकारी निगमों ने अब अपीलार्थी को 5 नोटिस जारी किए हैं।

डी.

अनुबंधों को रद्द करें या अपीलार्थी को उनकी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकें और बकाया भुगतान और प्रतिभूति जमा को जब्त या रोक दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि के डोमिनोज़ प्रभाव के कारण

निगम द्वारा अपीलार्थी को काली सूची में डालने पर, अपीलार्थी को निगम के हाथों अनुचित रूप से 5 दंड का सामना करना पड़ा है जो है -

ई आनुपातिक नहीं है और अपीलार्थी की सिविल मृत्यु के समान है। 11. दूसरी ओर, निगम की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अजीत पुद्दुसेरी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की लापरवाही के कारण पूरी भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करना पड़ा और इसने कई आवेदकों को रोजगार से वंचित कर दिया है और निगम की भर्ती प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कम कर दिया है। ब्लैकलिस्टिंग के मुद्दे के संबंध में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलार्थी ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र लीक करके अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया था, इसलिए इसे भविष्य की निविदाओं में भाग लेने की अनुमति देना जनहित में नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता को काली सूची में डालने की सजा की संभावना के बारे में पता होना चाहिए। जी.

बोली दस्तावेज में भी यही प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि चूंकि काली सूची का आदेश बोली दस्तावेज के अनुसार किया गया था और कारण दर्शाओ नोटिस जारी किए जाने के बाद, जिस पर अपीलार्थी को जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, निगम के दिनांक 09.01.2019 के विवादित काली सूची के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

एच. यू. एम. सी. प्रौद्योगिकी निजी सीमित v. भारत और ए. एन. आर. का खाद्य निगम 1183। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

12. हमने पक्षकारों की ओर से बार में विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों ए पर अपना चिंतित विचार दिया है। हमारी राय में, निगम के दिनांक 09.01.2019 के विवादित आदेश की वैधता, जहां तक इसके तहत अपीलार्थी को काली सूची में डालने का संबंध है, बदले में निगम द्वारा जारी किए गए दिनांक 10.04.2018 के अंतर्निहित कारण बताए जाने के नोटिस की वैधता से निर्धारित की जाएगी।

बी.

अपीलार्थी। 13. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह सभ्य न्यायशास्त्र का पहला सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए या जिसका अधिकार या हित प्रभावित हो रहे हैं, उसे अपनी रक्षा करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। सी प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत यह है कि निर्णय शुरू होने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को प्रभावित पक्ष को उसके खिलाफ मामले की सूचना देनी चाहिए ताकि वह अपना बचाव कर सके। इस तरह की सूचना पर्याप्त होनी चाहिए और कार्रवाई के लिए आवश्यक आधार और प्रस्तावित जुर्माना/कार्रवाई का विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। नोटिस की सीमा से परे यात्रा करने वाला आदेश अस्वीकार्य है और उस हद तक अधिकार क्षेत्र के बिना है। नासिर अहमद बनाम में यह डी कोर्ट। सहायक अभिरक्षक जनरल, निकासी
संपत्ति, लखनऊ और अन्र। , 1 ने अभिनिर्धारित किया है कि सूचना के लिए उन विशेष आधारों को निर्दिष्ट करना आवश्यक है जिनके आधार पर कार्रवाई की जाती है।

इसे लेने का प्रस्ताव किया गया है ताकि नोटिस पाने वाला अपने खिलाफ मामले का जवाब दे सके। यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति को सुनवाई का कोई उचित अवसर दिया गया है। ई. 14. विशेष रूप से, राज्य या राज्य निगम द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को काली सूची में डालने के संदर्भ में, काली सूची में डालने और कलंकित करने के गंभीर परिणामों के कारण एक वैध, विशिष्ट और स्पष्ट कारण दिखाएं नोटिस की आवश्यकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है

एफ.

जो ब्लैकलिस्ट किए जा रहे व्यक्ति/संस्था को प्राप्त होता है। यहाँ, यह लाभदायक हो सकता है

इसके कारण होने वाले परिणाम। ब्लैकलिस्टिंग का प्रभाव किसी व्यक्ति या संस्था को सरकारी अनुबंधों में प्रवेश करने के विशेषाधिकार प्राप्त अवसर से वंचित करने का होता है। यह विशेषाधिकार इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि यह राज्य है जो सरकारी अनुबंधों में प्रतिपक्ष और इस तरह, प्रत्येक पात्र व्यक्ति जी को मनमानेपन और भेदभाव के बिना ऐसे अनुबंधों में भाग लेने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। ब्लैकलिस्टिंग न केवल इस विशेषाधिकार को छीनती है, बल्कि यह ब्लैकलिस्ट किए गए व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करती है और व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाती है। ब्लैकलिस्टिंग में 1 (1980) 3 एस. सी. सी. 1 भी है।

ब्लैकलिस्ट किए गए व्यक्ति की भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं के लिए एक लंबे समय तक चलने वाला नागरिक परिणाम।

15. वर्तमान मामले में भी, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि निगम के काली सूची में डालने के आदेश के कारण उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है जैसा कि अब कई अन्य सरकारी निगमों ने किया है।

बी ने अपीलार्थी के साथ अपने अनुबंधों को समाप्त कर दिया और/या अपीलार्थी को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया, भले ही विवादित काली सूची का आदेश वास्तव में निगम के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय तक सीमित था। यह डोमिनोज़ प्रभाव, जो प्रभावी रूप से किसी व्यक्ति की नागरिक मृत्यु का कारण बन सकता है, यह दर्शाता है कि यात्रा को काली सूची में डालने के परिणाम एक विशेष सी सरकारी निगम के साथ काली सूची में डाले गए व्यक्ति के व्यवहार से बहुत आगे हैं और इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने जब भी किसी संस्था को काली सूची में डालने की मांग की जाती है, तब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करने का लगातार निर्देश दिया है।

16. ब्लैकलिस्टिंग के प्रभावों की गंभीरता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन की आवश्यकता

डी ब्लैकलिस्टिंग का आदेश पारित करने पर इस न्यायालय द्वारा एरसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम में प्रकाश डाला गया था। निम्नलिखित शब्दों में पश्चिम बंगाल राज्यः

" 12. ..... ब्लैकलिस्टिंग का आदेश किसी व्यक्ति को जनता के मामले में अवसर की समानता से वंचित करने का प्रभाव डालता है।

ई.

अनुबंध। एक व्यक्ति जो अनुमोदित सूची में है, सरकार के साथ लाभप्रद संबंध बनाने में असमर्थ है। ब्लैकलिस्टिंग के आदेश के कारण। एक व्यक्ति जो बिक्री के मामले में सरकार के साथ काम कर रहा है और

सामग्री की खरीद का एक वैध हित या अपेक्षा होती है। जब राज्य किसी व्यक्ति के पूर्वाग्रह के लिए कार्य करता है तो यह होना चाहिए

एफ.

वैधता द्वारा समर्थित। XXX XXX XXX 15. ..... ब्लैकलिस्टिंग आदेश में नागरिक परिणाम शामिल हैं। यह एक धब्बा डालता है। यह व्यक्तियों के बीच एक बाधा पैदा करता है।

जी.

लेन-देन के मामले में काली सूची में डाल दिया गया और सरकार। काली सूचियाँ जबरदस्ती के साधन हैं।

XXX

XXX

XXX

एच 2 (1975) 1 एस. सी. सी. 70।

यू. एम. सी. प्रौद्योगिकी निजी सीमित V. भारत और ए. एन. आर. का खाद्य निगम 1185। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

20. ब्लैकलिस्टिंग का प्रभाव ए से किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से प्रवेश करने के विशेषाधिकार और लाभ से रोकने का है।

लाभ के उद्देश्य से सरकार के साथ संबंध। यह तथ्य कि ब्लैकलिस्टिंग के क्रम से एक विकलांगता पैदा होती है, इंगित करता है कि संबंधित प्राधिकरण को एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि होनी चाहिए। निष्पक्ष खेल के मूल सिद्धांतों की आवश्यकता है कि व्यक्ति

बी.

संबंधित को काली सूची में डालने से पहले अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

99

17. इसी तरह, यह न्यायालय रघुनाथ ठाकुर बनाम. बिहार राज्य, 3 ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर भविष्य के अनुबंधों को काली सूची में डालने के आदेश को रद्द कर दिया। प्रासंगिक निष्कर्षण सी
उस मामले में निर्णय इस प्रकार हैः " 4. ..... [आई] टी कानून के शासन का एक निहित सिद्धांत है कि नागरिक परिणाम वाला कोई भी आदेश तभी पारित किया जाना चाहिए जब

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना। यह महसूस करना होगा कि व्यावसायिक उद्यमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति को काली सूची में डालना

किसी भी घटना में संबंधित व्यक्ति के भविष्य के व्यवसाय के लिए नागरिक परिणाम है। भले ही नियम ऐसा व्यक्त नहीं करते हैं, यह प्राकृतिक न्याय का एक प्राथमिक सिद्धांत है कि पक्षकार
किसी भी आदेश से प्रभावित लोगों को आदेश के खिलाफ सुनवाई और अभ्यावेदन करने का अधिकार होना चाहिए। 99

18. गोरखा सुरक्षा सेवा बनाम में यह न्यायालय। सरकार (दिल्ली का एन. सी. टी. ई.) और अन्य। 4 ब्लैकलिस्टिंग को किसी व्यक्ति की नागरिक मृत्यु के बराबर बताया गया है क्योंकि ब्लैकलिस्टिंग प्रकृति में कलंकित है और किसी व्यक्ति को सरकारी निविदाओं में भाग लेने से रोकता है जिससे वह सरकारी अनुबंधों के पुरस्कार से वंचित हो जाता है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया हैः

एफ.

" 16. यह पक्षकारों का एक सामान्य मामला है कि काली सूची में डालने से पहले कारण दर्शाएँ नोटिस देना पड़ता है। इस संबंध में कानून दृढ़ता से आधारित है और इसकी बहुत अधिक मांग भी नहीं है।
प्रवर्धन। व्यक्ति को अवसर देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन की आवश्यकता

जी.

जिनके खिलाफ काली सूची में डालने की कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके पीछे एक वैध और ठोस तर्क है। काली सूची में डालने के बाद कई नागरिक और/या बुरे परिणाम सामने आते हैं। इसे "सिविल" के रूप में वर्णित किया गया है।

3 (1989) 1 एससीसी 229।

4 (2014) 9 एससीसी 105।

ए.

एक व्यक्ति की मृत्यु जिसे काली सूची में डालने का आदेश दिया गया है।

इस तरह का आदेश प्रकृति में कलंकित है और ऐसे व्यक्ति को सरकारी निविदाओं में भाग लेने से रोकता है जिसका अर्थ है

उसे सरकारी अनुबंधों के पुरस्कार से वंचित करना। 99 19. उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने वाला 'ब' कारण दर्शाएँ नोटिस सभी प्रशासनिक निर्णय लेने का एक अनिवार्य तत्व है और विशेष रूप से काली सूची से संबंधित निर्णयों में जो संस्था को काली सूची में डालने के लिए गंभीर परिणाम देते हैं। इन मामलों में, एक वैध कारण बताएँ नोटिस देना महत्वपूर्ण है और ऐसा करने में विफलता उसके अनुसार काली सूची में डालने के किसी भी आदेश के लिए घातक होगी।
सी.

20. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी पर निगम द्वारा दिनांकित 10.04.2018 के कारण बताएँ नोटिस की सेवा का तथ्य विवाद में नहीं है। बल्कि, अपीलार्थी की ओर से श्री बनर्जी ने जो तर्क दिया है, वह यह है कि उक्त कारण दर्शाएँ नोटिस की सामग्री ऐसी नहीं थी कि अपीलार्थी यह अनुमान लगा सके कि निगम द्वारा काली सूची में डालने के आदेश पर विचार किया जा रहा था। गोरखा सुरक्षा सेवा (उपरोक्त) एक ऐसा मामला है जिसमें इस अदालत को यह तय करना था कि क्या कारण बताएँ नोटिस में विशेष रूप से ऐसी कार्रवाई का प्रस्ताव/विचार किए बिना काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा सकती थी। इस उद्देश्य के लिए, इस न्यायालय ने कारण दर्शाओ नोटिस ई की सामग्री के बारे में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिसके अनुसार काली सूची जैसी प्रतिकूल कार्रवाई की जा सकती हैः प्रदर्शन-कारण सूचना की सामग्री

21. हालांकि, केंद्रीय मुद्दा उस कार्रवाई को बताने की आवश्यकता से संबंधित है जो प्रस्तावित की जानी है। द.

कारण दर्शाओ नोटिस देने के पीछे मूल उद्देश्य नोटिस पाने वाले को उसके खिलाफ स्थापित सटीक मामले को समझाना है, जिसे उसे पूरा करना है। इसके लिए उनके द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों और चूक का विवरण देने वाले आरोपों के बयान की आवश्यकता होगी, ताकि उन्हें इसका खंडन करने का अवसर मिल सके। एक अन्य आवश्यकता, हमारे अनुसार, कार्रवाई की प्रकृति है जो इस तरह के उल्लंघन के लिए प्रस्तावित है। यह भी कहा जाना चाहिए ताकि नोटिस प्राप्तकर्ता यह इंगित करने में सक्षम हो कि दिए गए मामले में प्रस्तावित कार्रवाई आवश्यक नहीं है, भले ही शिकायत किए गए चूक/उल्लंघनों को संतोषजनक रूप से समझाया न गया हो। जब काली सूची में डालने की बात आती है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यकता और भी अधिक अनिवार्य हो जाती है

एफ.

जी.

एच.

इस तथ्य के लिए कि यह सबसे कठोर संभव कार्रवाई है।

यू. एम. सी. प्रौद्योगिकी निजी सीमित V. भारत और ए. एन. आर. का खाद्य निगम 1187। [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

संदेह है, उच्च न्यायालय इस एजेंट के लिए उचित है, हालांकि, यह उल्लेख करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या होगा परिणाम यदि नोटिस प्राप्तकर्ता संतोषजनक रूप से पूरा नहीं करता है

बी.

जिन आधारों पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। इसे अन्यथा रखने के लिए, हमारी राय है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एक कारण दिखाएँ नोटिस को निम्नलिखित दो आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिएः

(i) बताई जाने वाली सामग्री/आधार जो सी विभाग के अनुसार एक कार्रवाई की आवश्यकता है;

((ii) विशेष दंड/कार्रवाई जो की जानी प्रस्तावित है। यह दूसरी आवश्यकता है जिसे उच्च न्यायालय हटाने में विफल रहा है।

हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि भले ही इसका विशेष रूप से डी में उल्लेख नहीं किया गया हो, लेकिन इसे पढ़ने से स्पष्ट रूप से और सुरक्षित रूप से समझा जा सकता है, जो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

21. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से, एक स्पष्ट कानूनी स्थिति सामने आती है कि ई आदेश को काली सूची में डालने के वैध आधार का गठन करने के लिए, इस तरह के नोटिस को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, या इसकी सामग्री ऐसी होनी चाहिए कि इससे स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सके कि नोटिस जारी करने वाले की ओर से नोटिस जारी करने वाले को काली सूची में डालने का इरादा है। इस तरह की स्पष्ट सूचना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ काली सूची में डालने का जुर्माना लगाने का इरादा है, उसे अपनी संभावित काली सूची के खिलाफ कारण दिखाने का पर्याप्त, सूचित और सार्थक अवसर मिले। एफ 22। यह जांचने के लिए कि क्या सामग्री के बारे में उपरोक्त शर्तें वर्तमान मामले में कारण बताए जाने का समाधान हो गया है, दिनांकित उक्त कारण बताए जाने के नोटिस के प्रासंगिक हिस्से को निकालना उपयोगी हो सकता है।

10.04.2018 जिसमें निगम ने उन कार्यों को निर्दिष्ट किया है जो वह कर सकता है

जी.

अपीलार्थी के खिलाफ अपनानाः " जबकि, उपरोक्त उद्धृत खंड केवल सूचक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

जबकि, घटनाओं के क्रम से यह स्पष्ट है कि मैसर्स यू. एम. सी. टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, कोलकाता ने इसका उल्लंघन किया है

अनुबंध को नियंत्रित करने वाली शर्त/खंड इसके अपमानजनक होने के कारण

ए.

परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में विफलता और स्पष्ट लापरवाही। चूंकि यह एजेंसी की एकमात्र जिम्मेदारी थी कि वह प्रश्न की तैयारी और वितरण की प्रक्रिया को बनाए रखे

पेपर और अत्यधिक गोपनीय तरीके से परीक्षा का संचालन, स्पष्ट रिसाव, चूक के कृत्यों और

बी.

मैसर्स यू. एम. सी. टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कोलकाता की ओर से कमीशन।

जबकि, मैसर्स यूएमसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। एम. टी. एफ. के टी एंड सी के अनुसार उपयुक्त निर्णय लेने से पहले लिमिटेड कोलकाता को इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जाता है। द.

सी.

इस सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर यदि कोई स्पष्टीकरण इस कार्यालय में पहुंचना चाहिए तो कौन सा उचित निर्णय लिया जाएगा। निगम के पास उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना एम. टी. एफ. में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार।

डी.

23. 09.01.2019 दिनांकित आदेश को उजागर करना भी आवश्यक है।

निगम द्वारा उपरोक्त सूचना के अनुसरण में पारित किया गया, जिसका परिचालन भाग निम्नानुसार हैः

" पूरे मामले की विस्तार से जांच करने के बाद, मैसर्स यूएमसी ई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कमियां/लापरवाही सामने आई है। लिमिटेड किसी भी उचित संदेह से परे स्थापित है। अब, इसलिए शासी एम. टी. एफ. के खंड 42.1 (II) के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी एजेंसी के जोखिम और लागत पर अनुबंध को समाप्त कर देता है। खंड संख्या 10.1 और 10.2 के अनुसार उक्त मेसर्स

यूएमसी टेक्नोलॉजीज एफ प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड को पांच साल की अवधि के लिए निगम की भविष्य की किसी भी निविदा में भाग लेने से रोक दिया गया है। इसके अलावा, प्रतिभूति जमा भी एम. टी. एफ. के खंड 15.6 के अनुसार जब्त कर लिया जाता है। यह आदेश अपने हितों की रक्षा के लिए एफ. सी. आई. के पास उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना जारी किया जाता है।

24. नोटिस के एक सादे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि

जी.

ब्लैकलिस्टिंग का न तो स्पष्ट रूप से प्रस्ताव किया गया था और न ही निगम द्वारा अपने कारण बताए जाने के नोटिस में इस्तेमाल की गई भाषा से इसका अनुमान लगाया जा सकता था। "बोलीदाताओं को निर्देश" के 12 खंडों को सूचीबद्ध करने के बाद, जो निगम के दिनांकित बोली दस्तावेज़ का हिस्सा थे, नोटिस में केवल एक अस्पष्ट बयान है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रश्न पत्रों के कथित रिसाव के आलोक में, यू. एम. सी. प्रौद्योगिकी निजी लिमिटेड द्वारा एक उचित निर्णय लिया जाएगा।

निगम। वास्तव में, बोली दस्तावेज की बोलीदाता धारा ए के लिए उसी निर्देश के खंड 10 का, जिसे निगम ने अपीलार्थी को काली सूची में डालने की अपनी शक्ति का स्रोत होने का तर्क दिया है, कारण दर्शाएँ नोटिस में भी उल्लेख नहीं किया गया है। जबकि नोटिस में स्पष्ट किया गया कि नोटिस में निर्दिष्ट 12 खंड केवल सांकेतिक थे और संपूर्ण नहीं थे, नोटिस में ऐसा कुछ भी नहीं था जो अपीलार्थी को यह धारणा दे सके कि काली सूची में डालने की बी कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही थी। यह विशेष रूप से सच है क्योंकि अपीलार्थी का मानना था कि निगम को उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार भी नहीं था और क्योंकि एकमात्र खंड जिसमें काली सूची का उल्लेख किया गया था, निगम द्वारा अपने कारण बताए जाने के नोटिस में संदर्भित नहीं किया गया था। जबकि निम्नलिखित पैराग्राफ इस बात से संबंधित हैं कि अपीलार्थी का कथित विश्वास अच्छी तरह से स्थापित था या नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं हो सकता है कि निगम की ओर से यह स्पष्ट करना अनिवार्य था कि वह अपीलार्थी को काली सूची में डालने का इरादा रखता है, ताकि अपीलार्थी को उसके खिलाफ कारण दिखाने के लिए पर्याप्त और सार्थक अवसर प्रदान किया जा सके। 25. बोली दस्तावेज़ में केवल एक खंड का अस्तित्व, जिसमें डी ने पात्रता के खिलाफ एक बाधा के रूप में काली सूची का उल्लेख किया है, कारण बताएँ नोटिस में प्रस्तावित कार्रवाई के स्पष्ट उल्लेख की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। निगम का नोटिस काली सूची में डालने के बारे में पूरी तरह से मौन है और इस तरह, यह अपीलार्थी को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता था कि इस ई नोटिस के अनुसरण में निगम द्वारा ऐसी कार्रवाई की जा सकती थी। यदि निगम ने काली सूची के कारण बताएँ नोटिस में अपना मन व्यक्त किया होता, तो अपीलार्थी इसके लिए एक उपयुक्त जवाब दाखिल कर सकता था। इसलिए, हमारी राय है कि कारण दर्शाओ नोटिस दिनांकित है

10.04.2018 ब्लैकलिस्टिंग के लिए एक वैध कारण दिखाएँ नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। हमारे विचार में, अपीलार्थी को काली सूची में डालने का आदेश स्पष्ट रूप से कारण दर्शाएँ नोटिस की सीमा से परे है जो कानून में अस्वीकार्य है। नतीजतन, 09.01.2019 दिनांकित परिणामी काली सूची आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

26. हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि निगम द्वारा पारित काली सूची में डालने का दिनांकित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, हमारे लिए अपीलार्थी के विद्वान वकील की अन्य दलीलों जी पर विचार करना अनावश्यक है। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम इस मामले को नए सिरे से विचार के लिए निगम को नहीं भेजना उचित समझते हैं।

27. पूर्वगामी कारणों से, अपील सफल होती है और यह है

तदनुसार अनुमति दी गई। हाई एच [2020] 13 एस. सी. आर. द्वारा पारित 13.02.2019 का आदेश।

एक अदालत को दरकिनार कर दिया जाता है। निगम के दिनांकित 09.01.2019 आदेश को केवल तब तक रद्द कर दिया जाता है जब तक कि यह अपीलार्थी को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से काली सूची में डाल देता है। पक्षकार अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

28. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।